**30 8 केन्द्रीय सार्वजानिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा सतर्कता व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों द्वारा पब्लिक इश्यू में कर्मचारियों के लिए निर्धारित अधिमान्य कोटे (प्रिफरेंशियल कोटा) के अंतर्गत शेयरों की खरीद।**

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के संज्ञान में आया है कि एक केन्द्रीय सार्वजानिक क्षेत्र के उद्यम के एक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) को केन्द्रीय सार्वजानिक क्षेत्र के उद्यम के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव में कर्मचारियों के लिए आरक्षित कोटे से शेयर आंवटित किए गए। केन्द्रीय सतर्कता आयोग का मानना है कि इस प्रकार के विशेष लाभ केन्द्रीय सार्वजानिक क्षेत्र के उद्यमों में मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा सतर्कता व्यवस्था के प्रबंधन में उनकी स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता के साथ समझौता होगा। अतः केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने सूचित किया है कि केन्द्रीय सार्वजानिक क्षेत्र के उद्यमों में बाहरी पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारियों को केन्द्रीय सार्वजानिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव में कर्मचारियों के लिए निर्धारित अधिमान्य कोटे से शेयरों के आंवटन पर विचार नहीं किया जाए।

2. सरकार ने इस विषय पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि मुख्य सतर्कता अधिकारियों पर, जो कि केन्द्रीय सार्वजानिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारी नहीं होते हैं, केन्द्रीय सार्वजानिक उद्यमों में कर्मचारी कोटे से पब्लिक इश्यू में शेयरों हेतु आवेदन करने/आंवटन पर प्रतिबंध लगाएं।

3. इस विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सतर्कता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के संबंध में कार्यालय ज्ञापन सं. 15(7)/2003–डीपीई(जीएम) दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 समेकित दिशानिर्देश जारी किया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के उपरोक्त कथन की दृष्टि से इसमें एक नया अनुच्छेद को सम्मिलित किया गया माना जाएगा जो इस प्रकार है कि:

(xii) "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सतर्कता व्यवस्था के मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा अन्य अधिकारी जो संबंधित सार्वजनिक उद्यम के कर्मचार नहीं माने जाते हैं, वे कंपनी पब्लिक इश्यू में कर्मचारियों के कोटे से शेयरों के आंवटन के योग्य नहीं होंगे। इस प्रकार के विशेष लाभ केन्द्रीय सार्वजानिक क्षेत्र के उद्यमों में मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा सतर्कता व्यवस्था के प्रबंधन में उनकी स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता के साथ समझौता होगा"।

2. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि उनके प्रशासनिक नियंत्रण वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को इस संदर्भ में उपयुक्त निर्देश दें।

**(डीपीई का. ज्ञा.सं. 15(7)/2002–डीपीई(जीएम)–जीएल–96, दिनांकः 11 अगस्त, 2009)**

******